

‘मरीज़ों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए’
दवाओं को खाने के बाद एवं
टीकाकरण के बाद यदि कोई दुष्प्रभाव
(ड्रग रिएक्शन / ड्रग साइड इफ़ेक्ट/ ड्रग
एलर्जी) हो तो हमें सूचना दें



भारतीय फार्माकोपिया आयोग, गाज़ियाबाद

टोल फ्री नंबर: 18001803024

(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से शाम 5:30 तक)

कौन सूचित कर सकता है?

- डॉक्टर
- फार्मासिस्ट
- नर्स
- मरीज़

(औषधि दुष्प्रभाव प्रपत्र / ड्रग
रिएक्शन फॉर्म निम्न
फार्माकोविजिलेन्स सेंटर्स या
वेबसाइट से प्राप्त करें /
यह फॉर्म भरकर ऑनलाइन या

कुछ आवश्यक जानकारी

- रिएक्शन / दुष्प्रभाव के कई कारण हो सकते हैं,
इनमें से मुख्य कारण है दवाई का किसी व्यक्ति
विशेष के शरीर में विपरीत प्रभाव दिखाना
- अतः रिएक्शन होने पर किसी भी स्वास्थ्यकर्मी
(डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट) को दोषी न ठहराएँ,
स्टाफ का सहयोग करें
- तुरंत टोल फ्री नंबर पर सूचित करें
- डॉक्टर की दवा पर्ची, दवाई का बिल एवं बची हुई
दवाइयाँ संभालकर रखें जिससे रिएक्शन करने
वाली दवाई का पता लगाया जा सके
- रिएक्शन होने पर आप नज़दीकी मेडिकल कॉलेज
के फार्माकोलॉजी विभाग - फार्माकोविजिलेन्स सेंटर्स

उक्त सेंटर्स पर जमा किए जा सकते हैं)

को भी सूचित कर सकते हैं

भारतीय फार्माकोपिया आयोग,
नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर,
फार्माकोविजिलेन्स प्रोग्राम ऑफ़ इंडिया,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारत सरकार)
पता: सेक्टर-23, राज नगर, गाज़ियाबाद-
201002 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल: pvpi@ipcindia.net
वेबसाइट: www.ipc.gov.in

राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज
एवं अस्पताल.

-

'जनहित में जारी'